

**कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,
23 एलनगंज, इलाहाबाद, पिन कोड : 211002**

दूरभाष सं०/फैक्स नं०:- 0532 2466761, 0532 2466769 Website: <http://examregulatoryauthorityup.in>

e-mail id : secretarypnp.up@gmail.com

डी०एल०एड०(बी०टी०सी०)/डी०पी०एस०ई०(एन०टी०टी०) सम्बद्धता 2018-19 आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-189/15-11-2018, शिक्षा अनुभाग-11, लखनऊ दिनांक 12.03.2018 द्वारा डी०एल०एड० (बी०टी०सी०)/डी०पी०एस०ई०(एन०टी०टी०) के शैक्षिक सत्र 2018-19 को नियमित किये जाने हेतु एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त डी०एल०एड०(बी०टी०सी०)/डी०पी०एस०ई०(एन०टी०टी०) प्रशिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित समय-सारिणी निर्धारित की गयी है -

क्र० सं०	कार्य	निर्धारित अवधि
1	सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करना ।	15.03.2018
2	सम्बन्धित जनपद प्राचार्य डायट के कार्यालय में सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि ।	22.03.2018
3	सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र में जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को निरीक्षण आख्या सहित पत्रावली प्रेषित करने की तिथि ।	06.04.2018
4	राज्य स्तरीय समिति की बैठक ।	20.04.2018
5	राज्य स्तरीय समिति से प्राप्त सम्बद्धता के प्रकरण पर शासन का निर्णय ।	25.04.2018
6	शासन से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात् सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करना ।	30.04.2018

शासनादेश दिनांक 12.03.2018 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के वे निजी संस्थान जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय डी०एल०एड० (बी०टी०सी०)/डी०पी०एस०ई० (एन०टी०टी०) पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान की गयी है तथा जो राज्य सरकार से सत्र 2018-19 में सम्बद्धता हेतु इच्छुक है वे -

- वेबसाइट <http://examregulatoryauthorityup.in> से विवरणिका सहित आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर एवं आवेदन पत्र पूर्ण कर शासनादेश सं०-85/15-11-2010 दिनांक 18.01.2010 एवं संशोधित शासनादेश सं० 1454/15-11-2014 दिनांक 30.09.2014 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक अभिलेखों सहित पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को तीन प्रतियों में दिनांक 22.03.2018 की सायं 05:00 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।
- आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रूपये 50000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) तथा आवेदन शुल्क रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पदनाम से देय होगा, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु शासनादेश, विवरणिका एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट <http://examregulatoryauthorityup.in> पर उपलब्ध रहेगा।
- आवेदन हेतु निर्धारित तिथि 22.03.2018 के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे एवं वांछित अभिलेखों सहित पूरित आवेदन पत्र समय से न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उनकी सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.2
14-3-18

डॉ० (श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

10/3/18

पृ0सं0: नि0शि0सं0/सम्बद्धता 18-19/ 27066-71 /2017-18 दिनांक 14/3/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

डॉ0 (श्रीमती) सुत्ता सिंह
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।